

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 63/2015 वैवाहिक

सोनू उर्फ नाहरसिंह आयु 27 वर्ष पुत्र श्री
विक्रमसिंह पवैया निवासी ग्राम गुहीसर तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती अर्चना पत्नी सोनू पवैया पुत्री रामसिंह
परमार आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम गुहीसर परगना
गोहद हाल जाटव मौहल्ला सैफ्यू जिला धौलपुर
राजस्थान

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री राघवेन्द्र तोमर अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक 16-3-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है । याचिकाकर्ता के द्वारा गैरयाचिकाकर्ता को उसकी विवाहिता पत्नी होना अभिकथित करते हुये उससे दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है ।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 10-5-14 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। तब से अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है । विवाह उपरान्त अनावेदिका सुख पूर्वक अपने पति के साथ निवास ग्राम गुहीसर में रही । उसी दौरान दो

लाख रुपये का कर्ज के तौर पर उधार अनावेदिका के पिता रामसिंह ने आवेदक के पिता विक्रमसिंह से लिये थे इसी वजह से अनावेदिका को वहला फुसलाकर उसका पिता आवेदक के साथ अनावेदिका को नहीं भेज रहा है । अनावेदिका अपने पिता के सिखाये जाने में आकर आवेदक व उसके परिवारजन से क्रूरता का दुर्व्यवहार करती है । अनावेदिका पिछली होली से पहिले सोने के आभुषण सीतारामी 7 तोला, गले का हार साढे तीन तोला जिसमें झुमकी भी सम्मिलित है, हाथ के दस्ताने बजनी 5 तौला, चूडी नग 6 बजनी 6 तोला, अंगूठी 5 बजनी डेढ तोला, जंजीर एक बजनी दो तोला, मंगलसूत्र एक बजनी एक तोला एवं चांदी के आभुषण बजनी करीब 500 ग्राम को अनावेदिका अपने साथ ले गयी और अपने पिता के पास रखा दिया है । इस कारण अनावेदिका का पिता की नियत बेईमानी की हो गई है वह जानबूझकर आवेदक के पिता से लिये गये कर्ज की राशि दो लाख रुपये और आवेदक के उक्त सोने, चांदी के जेबरात को हडपना चाहता है । इसी कारण अनावेदिका को बहलाये फुसलाये हुये हैं जो आवेदक के साथ दाम्पत्य जीवन के निर्वाह से इन्कार कर रही है ।

03. आवेदक ने अपने आवेदनपत्र में आगे यह बताया है कि वह अनावेदिका को लेने अपने पिता एवं समाज के लोगों को लेकर दो तीन बार अनावेदिका के पिता के घर जा चुका है, लेकिन अनावेदिका अपने पिता के सिखाये जाने के कारण दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रही है । आवेदक के विरुद्ध झूठा दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध अनावेदिका ने करवा दिया था । अनावेदिका उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये है और दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं कर रही है । अनावेदिका ने अन्तिम बार पत्नी के रूप में आवेदक के साथ ग्राम गुहीसर में निवास किया । इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है ।

04. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से संमंस भेजा गया जिसकी तामीली होने के उपरांत दिनांक 26.02.16 को भी अनावेदिका न्यायालय में अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

05. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

06. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं सोनू उर्फ नहारसिंह साक्षी कं01 का तथा साक्षी विक्रमसिंह साक्षी कं02, ओमप्रकाश साक्षी कं03, रमेश शर्मा साक्षी कं04 के शपथपत्र पेश किए हैं । आवेदक सोनू उर्फ नहारसिंह ने अपने साक्ष्य

कथन में बताया कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 10-5-14 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। तब से अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है। विवाह उपरान्त अनावेदिका सुख पूर्वक अपने पति के साथ निवास ग्राम गुहीसर में रही। आवेदक के द्वारा अनावेदिका के साथ विवाह दिनांक 10-5-14 को सम्पन्न होने के संबंध में विवाह का कार्ड पेश किया है। इस संबंध में आवेदक के कथन का समर्थन साक्षी विक्रमसिंह साक्षी क्रं02, ओमप्रकाश साक्षी क्रं03, रमेश शर्मा साक्षी क्रं04 के कथनों से भी होता है।

07. इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना उपरोक्त साक्षियों के कथन के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है।

08. आवेदक ने अपने कथन में आगे बताया है कि उसी दौरान दो लाख रुपये का कर्ज के तौर पर उधार अनावेदिका के पिता रामसिंह ने आवेदक के पिता विक्रमसिंह से लिये थे इसी वजह से अनावेदिका को वहला फुसलाकर उसका पिता आवेदक के साथ अनावेदिका को नहीं भेज रहा है। अनावेदिका अपने पिता के सिखाये जाने में आकर आवेदक व उसके परिवारजन से कूरता का दुर्व्यवहार करती है। अनावेदिका पिछली होली से पहिले सोने के आभुषण सीतारामी 7 तोला, गले का हार साढे तीन तोला जिसमें झुमकी भी सम्मिलित है, हाथ के दस्ताने बजनी 5 तौला, चूड़ी नग 6 बजनी 6 तोला, अंगूठी 5 बजनी डेढ तोला, जंजीर एक बजनी दो तोला, मंगलसूत्र एक बजनी एक तोला एवं चांदी के आभुषण बजनी करीब 500 ग्राम को अनावेदिका अपने साथ ले गयी और अपने पिता को सुर्पुद कर दिये। इस कारण अनावेदिका का पिता की नियत बेईमानी की हो गई है वह जानबूझकर आवेदक के पिता से लिये गये कर्ज की राशि दो लाख रुपये और आवेदक उक्त सोने, चांदी के जेबरात को हडपना चाहता है। इसी कारण अनावेदिका को बहलाये फुसलाये हुये हैं जो आवेदक के साथ दाम्पत्य जीवन के निर्वाह से इन्कार कर रही है। वह अनावेदिका को लेने अपने पिता एवं समाज के लोगों को लेकर दो तीन बार अनावेदिका के पिता के घर जा चुका है। लेकिन अनावेदिका अपने पिता के सिखाये में आकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रही है। आवेदक के विरुद्ध झूठा दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध अनावेदिका ने करवा दिया था। अनावेदिका उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये है और दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं कर रही है।

09. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय रहे है। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

10. आवेदक सोनू उर्फ नाहरसिंह के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी विक्रमसिंह साक्षी क्रं02, ओमप्रकाश साक्षी क्रं03, रमेश शर्मा साक्षी क्रं04 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं। यद्यपि जेवर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता। किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है।

11. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक सोनू उर्फ नाहरसिंह का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी विक्रमसिंह साक्षी क्रं02, ओमप्रकाश साक्षी क्रं03, रमेश शर्मा साक्षी क्रं04 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए हैं।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह स्वयं आवेदक के पास पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची मुताविक जो भी कम हो दिया जावे।

तदनुसार आज्ञा पारित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

एस0डी0
(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

एस0डी0
(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड